

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक:एफ 13(10)(5)खा.वि./खाद्यान्न/2013

जयपुर, दिनांक 25.07.2016

अधिसूचना

खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड



राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 10 के तहत प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु पात्र व्यक्तियों की पहचान के लिये राज्य सरकार द्वारा समावेशन (पात्र)-निष्कासन (पात्र नहीं) हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 2016 को अधिक्रमित करते हुए समावेशन-निष्कासन संबंधी निम्नानुसार संशोधित मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:-

समावेशन सूची

	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
क. सं.	समावेशन (Inclusion) प्राथमिकता श्रेणी	समावेशन (Inclusion) प्राथमिकता श्रेणी
1	अन्त्योदय परिवार	अन्त्योदय परिवार
2	बीपीएल परिवार	बीपीएल परिवार
3	स्टेट बीपीएल परिवार	स्टेट बीपीएल परिवार
4	अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी	अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
5	ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा:- A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना F. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना G. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना H. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार I. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार	ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा:- A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना F. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना G. महानरेगा में 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार H. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना I. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार

(Signature)
22/7/16

	J. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त exclusion (पात्र नहीं) शर्तों में न आते हो।	J. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार K. भूमिहीन कृषक L. सीमान्त कृषक M. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त exclusion (पात्र नहीं) शर्तों में न आते हो।
6	मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष	मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष
7	समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल)	समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल)
8	एकल महिलाएँ	एकल महिलाएँ
9	श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
10	पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम	पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
11	कच्ची बस्ती में निवासी करने वाले सर्वेक्षित परिवार	-
12	कचरा बीनने वाले परिवार	कचरा बीनने वाले परिवार
13	शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएँ	-
14	गैर सरकारी सफाई कर्मी	-
15	स्ट्रीट वेण्डर	-
16	उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार	उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
17	साईकिल रिक्शा चालक	साईकिल रिक्शा चालक
18	पोर्टर (कुली)	पोर्टर (कुली)
19	कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति	कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
20	घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु, जातियां जैसे वन वागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक	घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन वागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक
21	वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी	वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी
22	-	लघु कृषक
23	सहरिया जनजाति एवं कथौडी जनजाति के परिवार	सहरिया जनजाति एवं कथौडी जनजाति के परिवार
24	आस्था कार्डधारी परिवार	आस्था कार्डधारी परिवार

(m)
22/07/2016



